हुक्म या कार्यवाही मय शीर्षक

हुक्म

17-12-18

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
आज श्रीमान तहसीलदार अधिकारी महोदय
आज राजकीय कार्य ... है / अवकाश पर है / आसपास पर ... उपलब्ध होकर
पत्रावली दिनांक 21-01-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
सोजत

21-01-2019 काफिवकता मय प्रार्थीगण उपस्थित।
प्रार्थीगण को आवश्यक तामिली सूचना
प्रार्थीगण को बावजूद तामिली सूचना
बार बार आवाजें किलाश जाने पर भी नोटिस सूचना
अनुपालित नहीं है जिससे इनके विरुद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना
आपकर दिनांक 05-02-2019 को पेश हो।

SDO, Sojat.

05-02-2019 काफिवकता मय प्रार्थीगण उपस्थित।
बहस पूर्व पत्र काफिवकता प्रार्थी अन्तर्गत धारा 23
अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण एवं
कल्याण काफिनियम, 2007 पेश की गई व समाप्त की गई।
काफिवकता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र उक्त धारा व
काफिनियम का विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आधार का पेश
किया कि प्रार्थीगण माननीय के पति व पत्नी तथा काफी वृद्धावस्था
लगभग 73 वर्ष व 67 वर्ष आयु के है, जिनका अप्रार्थीगण तीन
आपकर पुत्रान है। प्रार्थीगण ने स्वयं के खर्चे से मजदूरी
पेशा कर उन चारों पुत्रों का पालन पोषण करता आया है अपितु
प्रार्थीगण की अस्वस्थ से सेवा, भरणपोषण, विवाह आदि
का वहन एवं स्वयं कमाने हेतु उन्हें पैरों पर खड़ा किया
प्रार्थीगण को समाज समाजिक दायित्वों का भुगतान
निर्वहन किया है, जिससे वर्तमान में सभी स्वयं कमाने हेतु
सक्षम है। वर्तमान में उक्त सभी मजदूरी व व्यवसाय कर
तथा प्रार्थीगण के साथ ही उनके एक लाडलेबाला मकान में
ही निवास करते आ रहे है। वर्तमान प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण
को इनके स्वयं के भरण में वृद्धावस्था व कल्याण मानवीय व
कर्तव्य करना चाहिये है तथा इस वृद्धावस्था में किसी प्रकार
की कोई सेवा चाकरी, भरणपोषण, इलाज, कपड़ा आदि की
व्यवस्था तथा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे है।
अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के प्रति अपने नैतिक एवं मानवीय
कर्तव्यों के निर्वहन से मुकर रहे है। प्रार्थीगण के चारों
अप्रार्थीगण पुत्रान मजदूरी कर प्रति माह 15-20 हजार
रुपये कमाते है, किन्तु अप्रार्थीगण के पास
वृद्धावस्था हो जाने से खर्चे की भारी का पर्याप्त साधन नहीं है।
अप्रार्थीगण प्रार्थीगण का भरण पोषण, सेवा चाकरी नहीं कर
रही थोड़े मजदूरी कर प्रार्थीगण को अभाव में जीवनयापन
करने पर उतारू है। मई में भी वर्ष 2016 में अन्य प्रार्थनाओं के
तहत प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही करने पर अप्रार्थीगण द्वारा
प्रार्थीगण से राजीनामा किया था कि प्रार्थीगण की नियमित
सेवा चाकरी / भरणपोषण की व्यवस्था करेंगे तथा उक्त वस्तुओं
लगातार —

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

मकान से बेदखल नहीं करेंगे। किन्तु उसके
आवश्यक भी अपीलीगण पूर्व की भांति प्रार्थीगण की
किसी प्रकार की सेवा-चाकरी, अस्पताल सामाजिक
संपत्ति का निरस्त नहीं कर रहे हैं। दिनांक 27/8
को अपीलीगण ने तमाम प्रार्थीगण से अभद्र व्यवहार
करने लग गये तथा बहुमंजिला मकान से बेदखल करने
लगे तथा अस्पताल सेवा-चाकरी व सामाजिक संपत्ति
के निरस्त से मना कर दिया। अपीलीगण ने कई बार
सेवा-चाकरी करने हेतु मौखिक रूप से आदेश
करवाई थे किन्तु अपीलीगण नहीं माने व प्रार्थीगण
को बेसहारा छोड़ दिया। अपीलीगण अपने
संपत्ति का पता प्रार्थीगण की सेवा-चाकरी करना,
समय समय पर कपड़ा देवर पानी की व्यवस्था
करने से मना कर दिया तथा जान से मारने की धमकी
से सुरक्षा का अपने-अपने परिवार को लेकर अलग
रहने लग गये। अप्रार्थीगण सं0 1 से 4 प्रतिमाह मजदूरी
करके प्रत्येक को अच्छी कमाई करते हैं, प्रार्थीगण
वृद्ध, असहाय होने से बीमारियों से ग्रसित रहते हैं,
जो प्रार्थीगण जीवनयापन हेतु अप्रार्थीगण से भरण पोषण
राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार प्रार्थना
मय आवेदन-पत्र के हस्ताक्षरित करवाकर प्रत्येक
अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को 10,000/- रुपये
की भरण पोषण कपड़ा देवर खाना खर्च दवाई
हेतु हर्जा खर्चा राशि दिलवाकर जान तथा उनके
रहने से प्रार्थीगण को उनसे अप्रार्थीगण को
बेदखल करने से रोका जाकर पाबन्द किया जाने
की दरखास्त की है। इस पर राजस्व प्रपत्र दर्ज
रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस
नोटिस वास्ते जवाब प्रपत्र तलब किया गया।
अप्रार्थीगण को आवश्यक तामिली। सूचना कर
अप्रार्थीगण दिवाकर जाने पर भी अनुपस्थित
कर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 21-01-2021 को
एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
पत्रावली का चश्मा पूर्वक अवलोकन
किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के मद्देनजर आवेदन-पत्र
दाखिल तथ्यों, हस्ताविजात प्रपत्र बाबत राजीनामा
अभिभावक की रजामंदी प्रति का गवाहान पूर्वक कथन
किया गया। कार्यवाही मय प्रार्थीगण को सुनाकर
वास्तव. प्रार्थीगण को 5000/- रुपये प्रति अप्रार्थी
प्रति माह जीविकोपार्जन / भरणपोषण राशि पूर्व
किये जाने हेतु राजीनामा में सहमति / स्वीकारोक्ति
उभय पक्षों की बनती है। किन्तु तत पश्चात भी
अप्रार्थीगण के विरुद्ध भरणपोषण हेतु पुनः आवेदन
प्रार्थना-पत्र भरण पोषण राशि दिलाने से सम्बन्धित

P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | [illegible] होना पूर्व में कुछ सहगति राजीनामा की सफलता: पालनाहीं किया जाना अत्यन्त ही कष्टप्रद एवं निन्दनीय स्थिति पैदा करता है। वस्तुतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण माता-पिता हैं तथा इनकी सेवासुश्रूषा, भरणपोषण, कपड़े, दवाइयां आदि तथा रहन आदि जीवनोपार्जन की सुलभता सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने का दायित्व अप्रार्थीगण एवं वादी तथा पुत्र को ही राजीनामा की शर्तों के अनुसार दायित्व निर्वहन में अक्षम रहे हैं। लिहाजा दिनांक 17-09-2018 को पत्रावली प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरणपोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की स्वीकार पात्र होने से स्वीकार किया जाता है तथा 1500/- रुपये एक हजार पांच सौ रुपये प्रति माह प्रत्येक अप्रार्थी (पुत्र) द्वारा अप्रार्थीगण को कुल 6000/- रुपये (छः हजार रुपये) अप्रार्थीगण में प्रार्थीगण को भरणपोषण राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

—आदेश—

अतः अधिवक्ता आप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरणपोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की वृद्धावस्था व जरूरतों को देखते हुए प्रार्थीगण का जीवनोपार्जन, भरणपोषण तथा खानपान, दवाई, कपड़े आदि की समुचित व्यवस्था आदि हेतु 6000/- 1500/- प्रत्येक अप्रार्थीगण सं. 4 को तत्काल रुपये की राशि प्रति माह देने का निर्देश जारी किया जाता है। दोनों पक्षकारों के प्रभाव से आदेश पारित किया जाता है। जीवनोपार्जन की राशि दिलवाया जाने हेतु भरणपोषण 1500/- रुपये प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण सं. 4 प्रत्येक प्रतिमाह प्रत्येक अप्रार्थी आदि न्यायालय द्वारा में प्राप्त करवाकर प्राप्ति रसीद न्यायालय को पेश करने की सुनिश्चितता करने के आदेश प्रस्तुत करने की कृपा करें। अतः निर्णय एवं पूर्व में पारित राजीनामा दिनांक 05-09-2019 को लिखवाया जाने हेतु तस्दीक देकर पत्रावली प्रेषित की जाये। पत्रावली प्रेषित जाने हेतु तस्दीक देकर प्रेषित की जाये। बाद तामील जाने शुमार होकर अदम पैरवी खारिज जाने। खारिज खर्चा लेकर बाद जमाने।

(अपूर्व रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 05-09-2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अपूर्व रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner